पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर
आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करें।
वरिष्ठ लिपिक कार्यालय मीरजापुर 17.10.24

उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, TC-34 V-1, विभूति खड,
गोमती नगर, लखनऊ (यू.पी.), पिन कोड:226010
टेलीफोन: , फैक्स: 2728108
ईमेल: uphrclko@yahoo.co.in, वेबसाइट: http://uphrc.up.nic.in/

Case No. 10035/24/55/2024 Date:03/10/2024

सेवा में,

THE SUPERINTENDENT OF POLICE
MIRZAPUR

अवगत कराना है की SADHANA TIWARI से प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना(प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 05/09/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :

I have perused the allegations made in the complaint of complainant Sadhana Tiwari. Keeping in view the nature of allegations made in the complaint it would be appropriate to send a copy of the complaint to the Superintendent of Police, Mirzapur who shall look into the matter and do the needful in accordance with law at his end with the intimation to the complainant. I have not expressed any opinion on the merit of the complainant's case. Subject to the above observations the complaint is finally disposed of.

SD/-
(Braj Bhushan)
Member
05/09/2024

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक/समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

आज्ञा से,
(लिपि अधिकारी/लिंक अधिकारी)

संलग्नक: यथोपरि
उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
SADHANA TIWARI
SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, MIRZAPUR CITY
MIRZAPUR,UTTAR PRADESH,231001

Uttar Pradesh
U.P. Human Rights Commission TC-34 V-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,, UTTAR PRADESH -120

Sadhana Tiwari,
Surekapuram colony, Jabalpur Road, Mirzapur city MIRZAPUR , UTTAR PRADESH
Dated: 19/08/2024

Dear Sadhana Tiwari,
The Commission has recieved your complaint and it has assigned diary number as **3613/IN/2024** with the following details:-

Complainant Details

Name:	Sadhana Tiwari		
Mobile:	6387233091	**Email:**	sadhanamishramzp@gmail.com
Address:	Surekapuram colony, Jabalpur Road, Mirzapur city		
District:	MIRZAPUR	**State:**	UTTAR PRADESH

File Uploaded suceesfully (Deacerfamreg.pdf)

Victim Details

Complainant and victim are the same person.

Incident Details

Incident Place:	SHO is not registering FIR	**Incident Date:**	27/11/2023
Incident Category:	ABUSE OF POWER		
Incident District:	MIRZAPUR	**Incident State:**	UTTAR PRADESH
Is it filed before any Court / State HRC	No		
Incident Details:	The matter concerns the working of station house officer Drummond Ganj police station under the supervision of superintendent of police district-Mirzapur to register F.I.R. against offenders under sections 466 467 468 420 195 and 471 of the Indian Penal Code who usurped the ancestral land of the applicant by reaping benefit of vulnerability of the applicant.The details of offenders are as follows.1-Dayashankar Mishra S/O Shambhu Saran Mishra, Police station-Drummond Ganj, village- Bhaisod Balay Pahad post-Drummond Ganj, tehsil-Lalganj, development block-Halia, District- Mirzapur Uttar Pradesh.2- Hariprasad Mishra S/O Shambhu Saran Mishra,Police station-Drummond Ganj, village- Bhaisod Balay Pahad post-Drummond Ganj, tehsil-Lalganj, development block-Halia, District- Mirzapur Uttar Pradesh.3-Lekhpal,Lalganj tehsil, 4-Revenue inspector, Lalganj tehsil and 5-Tehsildar, Lalganj tehsil. Which canon law allows cheaters to usurp the property of the minors by reaping the vulnerability of them. Whether the concerned sub inspector will tell the applicant in which law book it has been mentioned that minors have no right in the property of ancestors. The process of inheritance is well defined in the revenue code of the Government of Uttar Pradesh but the facts were concealed and documents were manipulated which are criminal offence and police must take action under the sections of the Indian penal code 1860 as mentioned above by the applicant.The matter concerns usurping of the ancestral land by reaping the vulnerability and immaturity of the applicant does not concern with land dispute but it is criminal offence must be entertained by police to be instrumental in providing justice to applicant. Here ancestral usurped by the brothers of my deceased father by colluding with the Lekhpal, revenue inspector and tahsildar of tehsil Lalganj, district Mirzapur.Please provide justice to the applicant belonging to vulnerable section and setup excellent precedent so that such may not instigate others to destroy the life an adolescent girl whose parents died at tender age. It is crystal clear that it is a matter of land grabbing and criminal conspiracy to usurp the property of the applicant which is a criminal offence and will be treated under criminal procedure code 1973. Report of police in Uttar Pradesh is never consistent with the submissions of the grievances submitted by the aggrieved due to lack of transparency and accountability in the working of the police. It is expected from the police that they must submit an impartial report on the jansunwai portal but this is not possible because of the incredibility of the police in the state. The job of the police is to control the crime in the state and maintain the law and order but when the first information report of the citizens will not be registered by the police then whether crime will increase or decrease. Class-I heirs-vi. Daughter of predeceased son. The applicant was class-1 heir in the property of my grandfather who died in 2005 but the property was not inherited in favour of the applicant and the applicant was merely 10 years old at that time. They have		

	cheated my entire property dishonestly by colluding with the staff of Tehsil by reaping the vulnerability of the applicant. The report of the concerned investigation officer is arbitrary and not providing justice to the deprived section. Whether the matter of cheating is entertained by the civil court as being suggested by the concerned investigation officer of the police? All the concerned public staff who supported the offenders committed offence under criminal procedure code and Indian Penal Code must be subjected to the penal proceedings by the police to be instrumental in providing justice to a member of the vulnerable section. Here offenders cheated the property of the applicant by reaping the benefits of vulnerability of the applicant which must be taken into account by the police concerned. Where is the justice for the women and girls in the society? Whether the rights of women are safe in this largest democracy in the world. Whether the rights of children are safe in this largest democracy in the world. Think about the gravity of the situation a 10 year old girl was deprived of her ancestral property by her relatives by taking in good confidence the staff of the tehsil Lalganj and no action is taken by the concerned staff on the representation. Whether the concerned investigation of the police will provide the provisions of law which says that if the ancestral property of the girl is cheated by her own relatives then when she becomes an adult she will take shelter in the court of law. What is the role of the police in case of cheating of the property by the relatives of a child? It seems that because of corruption in our government machinery our system has failed to safeguard the human rights of children and women which is quite obvious from the frequent representation and which was closed by the concerned police arbitrarily.

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 211982201803263

ग्राम क्रमांक : 211982 ग्राम का नाम / परगना : भैसौडकलायपहाड(कंतित) तहसील : लालगंज जनपद : मिर्जापुर फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00090	जगदीश,रामनरेश / लालमनि / नि. ग्राम गुलाबशंकर,इन्द्रेशप्रसाद / लालमनि / नि. ग्राम नवजीतकुमार / लक्ष्मीनरायन / नि. ग्राम दयाशंकर / शम्भूसरन / नि. ग्राम हरिप्रसाद / शम्भूसरन / नि. ग्राम शिवशंकर / शम्भूसरन / नि. ग्राम रमदेइया / स्व0शम्भूसरन / नि. ग्राम	1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0 1387फ0	2397 2398 2485 2486ख 2487 2495क 2507क 2623क 3330 3667द0 2464 2465 2484	0.0700 0.0800 0.0400 0.2240 0.1500 0.0800 0.0400 0.0100 0.1100 0.0900 0.2000 0.1100 0.2200		1414फ. वाद सं0255/2007ना0तह0हलिया 19-6-2007मौजा भैसोडकलायपहाड तप्पा उपरौध परगना कंतित तह0 लालगंज जनपद मीरजापुर मे खतौनी फ0सन् 1413से 1418फ0के खाता सं084मे सा0आ0नं0543/0-7-0, 544/0-8-0,547/0-5-0योग 3गाटा रकबा 1-0-0 से बने हाल आ0नं02464मि./0.089,2465/0.101, 2484/0.063हे0योग 3गाटा /0.253हे0भू0रा060ख के अनुसार से विक्रेता शम्भूसरन पुत्र रामनाथ (मृतक)के वारिस दयाशंकर व हरिप्रसाद व शिवशंकर पुत्रगण शम्भूसरन व रमदेइया पत्नी शम्भूसरन नि0ग्राम भैसोडकलायपहाड का नाम निरस्त करके केतिका श्रीमती नचकी विधवा रामस्वरूप नि0ग्राम भैसोडकलायपहाड का नाम बतौर संक्र0भूमिधर दर्ज हो।ह0ले07-7-2007 वाद सं0256/2007ना0तह0हलिया 19-6-2007मौजा भैसोडकलायपहाड तप्पा उपरौध परगना कंतित तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर से सा0आ0नं0 343मि./0-6-0,मि.344/0-8-0,547मि./0-6-0योग 3गाटा रकवा 0-18-0से बनी खतौनी फ0सन् 1413से 1418फ0के खाता सं084की हाल	

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
जनपद मीरजापुर।

कृपया अपने पत्र संख्याःआयोग प्र0/पु0अ0नगर/सी-3(07)/2025 दिनांक 31.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग लखनऊ मे प्रचलित केस संख्याः10035/24/55/2025 दिनांकित 03.10.2024 के माध्यम से प्राप्त आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप—

विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के पिता के हिस्से की जमीन को अपने नाम वरासत करा लेना आदि कतिपय आरोप अंकित है।

जांच विवरण—

संदर्भित प्रकरण की जांच के क्रम मे सम्बन्धित का अभिकथन अंकित किया गया,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो का अवलोकन किया गया विवरण निम्नवत है—

1—बयान साधना तिवारी पत्नी ओमकारनाथ तिवारी निवासी सुरेकापूरम् कालोनी थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर बता रही है कि मेरा मायका भैसोड़ बलाय पहाड़ी थाना ड्रमण्डगंज मीरजापुर मे स्थित है। मेरे पिता सियाकान्त मिश्रा थे, जिनकी मै एकमात्र पुत्री हूँ। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2001 मे हो गयी है। मेरे पिता के मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े पापा दयाशंकर व हरिप्रसाद मिश्रा द्वारा मेरा लालन पालन किया गया जिनके द्वारा मेरी शादी वर्ष 2012 मे कराने के पश्चात मेरे पिता के हिस्से की सारी जमीन अपने नाम करा लिया गया है। जबकि मेरे पिता के हिस्से की जमीन मे कुछ भी मुझे नही दिया गया और चोरी से सारी सम्पत्ति विपक्षीगण द्वारा अपने नाम कराया गया है। मै चाहती हूँ कि विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो तथा मेरे पिता के हिस्से की सम्पत्ति को मुझे दिलाया जाय।

2—बयान दयाशंकर मिश्र पुत्र स्व0 शम्भूसरण मिश्र निवासी भैसोड़ बलाय थाना ड्रमण्डगजं जनपद मीरजापुर बता रहे है कि साधना तिवारी मेरे सबसे छोटे भाई सियाकान्त मिश्र की पुत्री है। मेरे भाई की पुत्री साधना तिवारी जब 03 वर्ष की थी उसी समय मेरे पिता जी द्वारा अपने जीवनकाल मे ही हम तीनो भाईयो का आपसी बटवारा कर दिये थे, जिसके बाद हम तीनो भाई अपने अपने हिस्से मे रह रहे थे। मेरे छोटे भाई की मृत्यु से पूर्व उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा उनके हिस्से की सारी जमीन बेच दिये थे। जब मेरे भाई की मृत्यु हो गयी तो हम दोनो भाईयो द्वारा आवेदिका का लालन पालन किया तथा शादी विवाह किया। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी माता के नाम समस्त सम्पत्ति वरासत हो गया था। मेरी माता की मृत्यु उपरान्त उक्त जमीन हम दोनो भाईयो के नाम हो गयी। मेरे छोटे भाई का हिस्सा उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा बेच दिया गया था। हम लोगो द्वारा अपने भाई का हिस्सा नही लिया गया है यदि आवेदिका को लगता है कि उसके पिता का हिस्सा बचा है तो अपने पिता के हिस्से से सम्बन्धित जमीन का कागज देकर अपने पिता की हिस्से की जमीन ले ले हमे कोई आपत्ति नही होगी।

अभिलेखीय साक्ष्य—

1—उद्धरण खतौनी दिनांक 10.12.2024 का अवलोकन।

समीक्षा—

आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच के क्रम मे सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से यह तथ्य संज्ञान मे आया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा

आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पुर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।

निष्कर्ष—

अबतक की तमामी जांच,सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से पाया गया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि *आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पुर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।* राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड (आवेदिका के मायका) मे कोई जमीन नही है। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे लगाये गये अन्य आरोपो के सम्बन्ध मे कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नही पाये गये। *सुलभ संदर्भ हेतु राजस्व विभाग व उद्धरण खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।*

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि

दिनांकः फरवरी ,2025

(अशोक कुमार सिंह)
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

प्रमाणित

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

जनपद-मीरजापुर।

आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या: 60000250183879 दिनांक-

1.	शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0	आवेदिका साधना तिवारी पत्नी ओमकार नाथ तिवारी निवासी सुरेखापुरम कालोनी रीवा रोड थाना कटरा जनपद मीरजापुर मो0-6387233091
2.	विपक्षी का नाम पता व मो0नं0	हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र पुत्रगण स्व0 शम्भूशरण मिश्र निवा- गण ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ थाना ड्रमंडगंज जनपद मीरजापुर मो0नं0 799:.:17799
3.	जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0	थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मो0नं0 7839858907 थाना ड्रमण्डगंज मीरजापुर
4.	प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण	नहीं
5.	विवाद की श्रेणी (जमीन/घरेलू/ अपराधिक अन्य विवाद)	जमीन
6.	शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण	आवेदिका के पिता की जमीन आवेदिका के ताऊ व चाचा द्वारा जमीन अपने नाम कर लेने के सम्बन्ध मे।
7.	आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान	आवेदिका द्वारा बताया गया कि आवेदिका के पिता के हिस्से मे ह..गभाग 15 बीघे जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी आवेदिका के पिता की मृत्यु ह. गयी थी। पिता की मृत्यु के बाद आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेख से समाप्त हो गया था। आवेदिका का आरोप है
8.	विपक्षीगण के बयान	विपक्षी गण द्वारा बताया जाता है कि आवेदिका के पिता शियाकान्त टीबी के मरीज थे जिनके दवा इलाज मे उनके हिस्से की जमीन बेच कर पिता द्वारा बेच कर दवा इलाज कराया गया था आवेदिका की शादी भी जमीन बेच कर किया गया था।
9.	स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो0नं0)	स्वतंत्र साक्षी बयान मौके पर कोई तैयार नही हुआ।

10.	विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नही? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116 CrPc अथवा 170/126/135 B.N.S.S आदि कार्यवाही	नहीं
11.	यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व की आख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये	नहीं
12.	विवाद की दशा में धारा 107/116 CrPc अथवा 126/135 B.N.S.S की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117 CrPc की पाबन्दी का आदेश संलग्न कर पूर्ण विवरण	नहीं
13.	विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण	नहीं
14.	प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।	नहीं
15.	प्रकरण में धारा 151 CrPc अथवा 170 B.N.S.S की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया।	नहीं

16.	प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा०न्या० नाम/वाद संख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।	नही
17.	जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।	अक्षांश- 24.80807 (विपक्षी उपरोक्त का) देशान्तर-82.120332
18.	प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पर्व में दिया दा चुका है यदि पर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम।	44 बार ,परिणाम – आवेदिका का प्रकरण सिविल प्रकृति का है जिस हेतु आवेदिका को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आवेदिका बार- बार जाँच आधि कारियो के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
19.	प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।	नही
20.	धोखाधड़ी के मामलो में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निला	नही
21.	जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त कर करते हुए अपलोड करें।	नही
22.	मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।	नही
23.	पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।	नही
24.	जाँच आख्या/ विवरण/ सारांश-	महोदय निवेदन है कि संलग्न प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ थानाध्यक्ष द्वारा जांच के क्रम मे आवेदिका से द्वारा दूरभाष वार्ता की गयी एवं आवेदिका के प्रा0पत्र पर पूर्व मे प्रेषित आख्या आदि के परिशीलन मे पाया गया कि आवेदिका के बाबा शम्भू शरण मिश्रा के चार पुत्र क्रमशः दयाशंकर, हरिप्रसाद, सियाकान्त, शिवशंकर व दो पुत्री रानिया व प्रेमिया थी। आवेदिका के पिता सियाकान्त की मृत्यु 2001 मे हो गयी थी व आवेदिका के बाबा शम्भूशरण की मृत्यु 2005 मे हुयी थी बाबा शम्भूशरण के मृत्यु के बाद उक्त भूमि का वरासत दयाशंकर, हरिप्रसाद, शिवशंकर व पत्नी रमदिइया के नाम हो गयी। आवेदिका व आवेदिका के पिता के नाम कोई सम्पत्ति ग्राम भैसोड़ मे नही है, आवेदिका अपने बाबा शम्भूशरण मिश्रा की सम्पत्ति मे अपने पिता स्व0 शियाकान्त के हिस्से की सम्पत्ति को लेना चाहती है। जरिए दूरभाष पर हुयी वार्ता के क्रम मे आवेदिका द्वारा बताया गया कि मै अपने ससुराल मीरजापुर शहर मे रहती हूँ, मै चाहती हूं कि मेरे बाबा की सम्पत्ति मुझे मिले तथा प्रकरण मे अभियोग पंजीकृत कराना चाहती है। आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण मे मायके की पैतृक सम्पत्ति को लेकर विवाद है, आवेदिका के बाबा के मृत्यु के बाद बाबा की सम्पत्ति उसके चाचा के नाम जरिए वरासत चली गयी परन्तु आवेदिका व आवेदिका की माता के नाम सम्पत्ति नही आयी, जैसा कि आवेदिका द्वारा बताया गया। चूंकि आवेदिका का सम्पूर्ण प्रकरण सिविल प्रकरण है, इस सम्बन्ध मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) 8592/24 मे यह व्यवस्था दी गयी है कि सिविल मामलों को आपराधिक रुप देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किया जाये।अतः आवेदिका को अवगत कराया गया कि यदि आप अपनी पैतृक सम्पत्ति मे नियमानुसार वादयोजित कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ थाना ड्रमण्डगंज मे नही रहती है वह इसका मायका है आवेदिका के प्रकरण मे अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता समीचीन प्रतीत नही होती है। आख्या अनुमोदनार्थ हेतु सादर सेवा मे प्रेषित है।

<u>संलग्नक-</u>

ह0जाचकर्ता अधिकारीः-

ह0 27/8/25

उपनिरीक्षक

थाना ड्रमण्डगंज

थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर

ह0 27/8/25

थानाध्यक्ष

थाना ड्रमण्डगंज

जनपद मीरजापुर ।

GPS Map Camera
Google
Bhaisor Balay Paha, Uttar Pradesh, India
Bhaisor Balay Pahar, Near Tuthi Ka Talab, Bhaisor Balay Paha,
Uttar Pradesh 231211, India
Lat 24.80807° Long 82.120332°
22/08/2025 01:11 PM GMT +05:30